संख्या : 23 / XIII-II / 2013–03(05) / 2010

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन निदेशालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 28 फरवरी, 2013

विषयः विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP)-Phase 2 हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में Retroactive financing (पूर्वव्यापी वित्तपोषण) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1354 / 11–7 / 2012–13 दिनांक 14जनवरी, 2013 द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP)-Phase 2 हेतु परियोजना क्षेत्रों के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व समस्त विशेषज्ञों, क्षेत्रीय एन.जी.ओ., पार्टनर एन.जी.ओ. इत्यादि के चयन कर नियुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में Retroactive financing (पूर्वव्यापी वित्तपोषण) के रूप में ₹ 1.285करोड़ (₹ एक करोड़ अठाइस लाख पचास हजार मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति का नियमानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पृथक से यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 321 / XXVII-I / 2012 दिनांक 19.6.2012 के द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।